भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 446 का उत्तर

बिहार में लंबित रेल परियोजनाएं

446. श्री अरुण भारती:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में विभिन्न चालू/लंबित रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) बिहार और जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रेल परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनके लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है और उन्हें अनुमोदित कर दिया गया है और जिन पर अभी तक कार्य नहीं चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ड़): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

बिहार में लंबित रेल परियोजनाएं के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में श्री अरुण भारती के अतारांकित प्रश्न सं. 446 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृत/निष्पादित क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। बहरहाल, 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य जिसमें जमुई संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 5,064 कि.मी. कुल लंबाई वाली 79,356 करोड़ रुपये लागत की 55 रेल परियोजनाएं (31 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 22 दोहरीकरण) जो योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरण में हैं, जिनमें से 1194 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर लिया गया है और मार्च, 2024 तक 26,983 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

बिहार राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से आने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेलवे-वार ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

बिहार राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से आने वाली रेल अवसंरचना और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन निम्नानुसार है:-

वर्ष	बजट परिव्यय	2009-14 के औसत वार्षिक आबंटन के संबंध में प्रतिशत बदलाव
2009-14	1132 करोड़ रूपये	-
2023-24	8505 करोड़ रूपये	651% ज्यादा

किसी रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा राज्य भागीदारी की राशि जमा कराना, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए वर्ष के दौरान कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजनाओं में समापन समय को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त बाधाओं के बावजूद, परियोजनाओं को शीघ्र निष्पादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

पिछले 3 वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-25) में, बिहार राज्य में पूरी तरह/आंशिक रूप से आने वाले 3,889 किलोमीटर लंबाई के 72 सर्वेक्षण (12 नई लाइन और 60 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं और बिहार राज्य में पूरी तरह/आंशिक रूप से आने वाले 1,340 किलोमीटर लंबाई के 21 सर्वेक्षण (11 नई लाइन और 10 दोहरीकरण) पूर्ण हो चुके हैं।

रेल परियोजनाओं की स्वीकृत करना भारतीय रेल की एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम छोर तक संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, भीड़भाड़ वाली/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक विचार आदि के आधार पर शुरू किया जाता है। चालू परियोजनाओं की देनदारियों, निधियों की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों के आधार पर पर निर्भर करती

जमुई दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर किऊल और झाझा के बीच भारतीय रेल नेटवर्क पर पहले से ही मौजूद है। बहरहाल, जमुई क्षेत्र में रेल संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए, 3 और रेल परियोजनाएं नामत (i) बरियारपुर-मननपुर (68 किलोमीटर) 250 करोड़ रुपये की लागत वाली नई लाइन परियोजना, (ii) 3120 करोड़ रुपये की लागत वाली नवादा-लक्ष्मीपुर (137 किलोमीटर) नई लाइन परियोजना और (iii) जमुई क्षेत्र के निकट 496 करोड़ रुपये की लागत वाली झाझा-बेतिया (20 किलोमीटर) नई लाइन परियोजना को स्वीकृत की गई है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) मंत्रालय में गति शक्ति निदेशालय और फील्डों में गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण (iii) निधि के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) परियोजना की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर गहन निगरानी (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी क्लिरियेंस और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करना शामिल है।

*****